

#1187

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - सिनोडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्राणीय सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - ~~उज्जैन~~)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 353/25

दापर दिनांक 27/9/25

निर्णय दिनांक 27/9/25

रिपोर्ट

क्र.म..	नाम- ग्राम	ज्ञान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	उज्जैन	115	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम उज्जैन प.ह. उज्जैन (खातासं...1) के उज्जैन में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	
			स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	
			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर निरदाशिय		
			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार		

प्रतिरिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार गण्डला

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलकरणद करेगा

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

(उपखण्ड अधिकारी)

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

